न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः— प्रार्थना पत्र संख्या 76 / 2019

निर्णय दिनांक :— 24.1.2020

दीपचन्द पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी रतनगढ हाल ढाणी रोही जालेउ बड़ी

... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू
2. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री पेमाराम पुनिया अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 6.11.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 312 ख.नं. 761 तादादी 15.4286 हैक्टेयर रोही रतनगढ में तथा खाता संख्या 93 ख.नं. 537 / 503 तादादी 4.1860 हैक्टेयर रोही ग्राम जालेउ बड़ी तहसील रतनगढ में स्थित है। दोनो खसरों के राजस्व रेकार्ड में दीपाराम पुत्र भींवाराम दर्ज है। राजस्व क़र्मचारियों की भूल से दीपचन्द के स्थान पर दीपाराम अकिंत कर दिया। प्रार्थी का सही नाम दीपचन्द पुत्र भींवाराम है। प्रार्थी के राशन कार्ड, चुनाव मतदाता सूची, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भामाशाह व शिक्षा रेकार्ड में सही नाम अकिंत है। प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड में सही नाम दीपचन्द शुद्व करने हेतु राजस्व कर्मचारियों से कई बार निवेदन किया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादगत खसरों की भूमि में प्रार्थी का सही नाम दीपाराम के स्थान दीपचन्द शुद्ध किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 22.1.2020 को न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड खाता संख्या 312 ख.नं. 761 तादादी 15.4286 हैक्टेयर रोही रतनगढ में तथा खाता संख्या 93 ख.नं. 537/503 तादादी 4.1860 हैक्टेयर रोही ग्राम जालेउ बड़ी तहसील रतनगढ में प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र भींवाराम जाट सा.देह खातेदार दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजात में दीपचन्द पुत्र भींवाराम दर्ज है। दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड, तथा विधालय की टी.सी. एवं तहसीलदार रतनगढ की प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.1.2020 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम प्रस्तुत दस्तावेजात में दीपचन्द पुत्र भींवाराम अकिंत है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 312 ख.नं. 761 तादादी 15.4286 हैक्टेयर रोही रतनगढ तथा खाता संख्या 93 ख.नं. 537/503 तादादी 4.1860 हैक्टेयर रोही ग्राम जालेउ बड़ी तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दीपचन्द पुत्र भींवाराम शुद्ध अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 13:12:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: